22/5/15

तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भूअ/15/4064 दिनांक 14.5.2015 के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तम्बाकुपुरा की जमाबंदी संवत् 2042–45 के खाता सं. 16 के ख.नं. 69 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी गोरधन पुत्र रामबक्स हि. 1/2 व गणपत पुत्र गोरधन हि. 1/2 कौम पुजारी सा. माताजीका बास तन निमेड़ा रिकार्ड दर्ज है। इसी जमाबंदी में ना.सं. 119 में विक्रय पत्र का नोट अंकन है। ना.सं. 119 विक्रय पत्र द्वारा उक्त खातेदारों के बजाय मातादीन पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/2 कैलाशनाथ पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/2 स्वीकृत है। इस ना.करण का अमल आधार वर्ष जमाबंदी में नहीं है। आधार वर्ष जमाबंदी संवत् 2051 के खाता सं. 8 के खसरा नं. 123 में ख.नं. 69 के नये नम्बर बने है जिसका रकबा 2.90 है0 है। खातेदारी गोरधन पुत्र रामबक्स हि. 1/2 गणपत पुत्र गोरधन हि. 1/2. कौम पुजारी सा. माताजी का बास रेकार्ड मेंदर्ज है खातेदार गोरधन पुत्र रामबक्स 1/2 के फौत होने पर गोरधन की विरासत का ना.करण उनकी वासि श्रीमती मनफूली बेवा गोरधन लाल हि.ब.हि. 1/2 का अंकन ना.करण 99 के द्वारा हो चुका है। ना.करण का अमल आगामी जमाबंदी संवत् 2059–62 में हो चुका है जो वर्तमान में चल रहा है। अतः निवेदन है कि ना.करण सं. 119 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा का अमल आधार वर्ष जमाबंदी में नहीं हुआ जो सहवन से छूट गया है।

तहसीलदार, दांतारामगढ व संलग्न पटवारी हल्का जीणमाता तहसील दांतारामगढ की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वर्तमान खातेदार मनफूली पत्नी स्व. गोरधन लाल, मंजू देवी पत्नी स्व. गणपत, कमल कुमार पुत्र स्व. गणपत जाति पुजारी निवासी जीणमाता ने अपने शपथ पत्र में कथन किया है कि ग्राम तम्बाकुपुरा प.म. जीणमाता में अवस्थित भूमि ख.नं. 123 रकबा 2.90 है. में वर्तमान खातेदारी गलत रूप से मनफूली पत्नी गोरधनलाल व गणपत पुत्र गोरधनलाल के नाम दर्ज है। हमारे पूर्वजों ने उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र मातादीन पुत्र बद्री प्राद हि. 1/2 व कैलाश चन्द पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/2 जाति पुजारी नि. जीणमाताजी को कर दिया था तथा उक्त कृषि भूमि की खातेदारी उक्त क्रेतागण के नाम दर्ज की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है इसके लिए हम पूर्णतया सहमत है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट एवं वर्तमान खातेदारों/वारिसों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2067–70 खाता सं. 45 में मनफूली बेवा गोरधनलाल हि. 1/4 गणपत पुत्र गोरधनलाल हि. 3/4 जाति पुजारी नि. माताजी का बास खातेदार के स्थान पर जमाबंदी संवत् 2042–45 खाता सं. 16 में अंकित नोट के अनुसार मातादीन पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/2 कैलाशनाथ पुत्र श्री बद्री प्रसाद हि. 1/2 कौम पुजारी सा. माताजी का बास तन निमेड़ा के नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

मनफूली

मन्जु देवी

कमलकुमार

Scanned with CamScanner